संक्षिप्त

सौंपा ज्ञापन

निवाई। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की सूची में ग्राम सीतापुरा (बोकण ढाणी चुराडा) को प्रस्तावित ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा उर्फ नया गांव में जोड़ दिया गया है। जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सीतापुरा से नवीन प्रस्तावित ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा (नयागांव) की दूरी 10 किलोमीटर दूर है, जिससे ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय में जाने में परेशानी होगी। जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत अरनिया मात्र 4 किलोमीटर दूर है। ग्राम सीतापुरा की कोई भी भौगोलिक सीमा ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा से नहीं जुडती है। जबकि ग्राम पंचायत अरनिया से भौगोलिक सीमा सीतापुरा से जुडती है। ग्राम पंचायत अरनिया के गांव भगवतपुरा की भौगोलिक सीमा प्रस्तावित ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा से जुडती है। ग्राम पंचायत अरनिया से डामरीकरण सडक से सीतापुरा गांव जुडा हुआ है। ग्राम पंचायत अरनिया की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2875 है। इसलिए इसलिए गांव को अरनिया ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। ज्ञापन देने के दौरान रामेश्वर, कजोड, गिर्राज, भागुता, लड्डूलाल , रामनंदा व ओंकार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

पशु चिकित्सालय सिरस में पक्षियों के लिए बांधे परिंडे

टोंक। जिले में हो रही गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए दाने-पानी से व्याकुल पक्षियों की पीड़ा को समझते हुए पशु चिकित्सालय सिरस के प्रभारी डॉ. शिवराज शर्मा आगे आएं। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. छोटू लाल बैरवा के निर्देश पर बुधवार को चिकित्सालय परिसर में परिंडे बांधे एवं उनमे पानी डालकर चिकित्सालय कार्मिकों को परिंडों की नियमित साफ-सफाई एवं प्रतिदिन दाना-पानी डालने के निर्देश दिए। परिंडे बांधने के अवसर पर प्रभारी डॉ. शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी में बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए दाने-पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा धर्म व पुण्य का काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वे अपने घरों के आँगन, छत एवं सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और उनमे प्रतिदिन दाना-पानी रखे। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे-छोटे प्रयास ही भावी पीढ़ी ऐसे पुण्यकार्य करने के लिए प्रेरित होंगी।

महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 को

नारायणपुर । कस्बे के मानसरोवर जोहड़ स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले जनजागृति संस्थान में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती सैनी समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, युवा बड़ी संख्या में शामिल होकर महापुरुष ज्योतिबा फुले के विचारों और योगदान को स्मरण करेंगे। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, पुष्पांजलि और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाएगा।

भावभीनी श्रद्धाजंलि

हमारे प्रिय **श्री अरूण जी महमवाल** के आकस्मिक निधन पर श्रद्धाजंलि अर्पित करते है।

श्रद्धावनत- श्रीमती आशा (धर्मपत्नी) दिलीप-जया (भाई-भाभी), रोहिन-प्रेमा (पुत्र-पुत्रवधु), जेनिशा (पौत्री) देवल (पौत्र)

श्रद्धाजंलि

हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती लाडा देवी गुर्जर** धर्मपत्नी स्व. श्रवणलाल जी गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2025 को हो जाने पर हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धानवतः- मोती जी, रामनाथ जी (जेठ) गोपाल जी, कल्याण जी, नाथू जी, सूजा जी (देवर) हरजीराम, हनुमान, मेवाराम, मंगल, गणेश, लालाराम (पुत्र) विजय, मनीष, राहुल, समीर (पौत्र) एवं समस्त छावडी परिवार।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मालपुरा का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है : मंत्री कन्हैयालाल चौधरी

मालपुरा । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशो पर राजस्थान की सभी विधानसभाओं मे भाजपा के सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने के घोषित कार्यक्रमानुसार बुधवार को महेश सेवा सदन मालपुरा मे सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन मे पहुंचे केबिनेट मंत्री व क्षैत्रिय विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने आमजन कल्याण के लिये हजारो योजनाऐं शुरू की है। जिन्है भाजपा कार्यकर्ता जन-जन तक पहुंचा लाभार्थी व जरूरतमंद लोगो को योजनाओं का लाभ दे रहै है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भाजपाशाषी विधानसभा क्षैत्रो के साथ सोतेला व्यवहार किया है। जिनमे मालपुरा विधानसभा भी शामिल है। अब केन्द्र से लेकर शहरी व पंचायतीराज तक भाजपा की कडी से कडी जुडी है। मालपुरा विधानसभा क्षैत्र का विकास करवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पडे। मंच के माध्यम से मंत्री ने कडा रूख अपनाते हुये कहा कि मालपुरा मे कुछ लोग ऐसे है जो क्षैत्र मे विकास नही चाहते। उनका उदेश्य सिर्फ और सिर्फ कन्हैयालाल चौधरी को नीचा दिखाने व बदनामी करने का है। लेकिन अब ऐसे लोगो की परवाह किये बगैर क्षैत्र का चहुमुंखी विकास करवाने मे कोई कसर नही छोडूंगा। विधानसभा क्षैत्र मे भाजपा सरकार की बजट घोषणा के बाद तीन सो करोड की सडको का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जल्द पचास करोड की मिसिंग लिंक सडको का कार्य शुरू होगा।

पैतीस करोड की लागत से तीर्थ स्थल डिग्गी व मालपुरा शहर मे विधुत लाईने भूमिगत डाली जायेगी। आने वाले बजट मे टोरडी व पचेवर को पीएचसी से सीएचसी मे क्रमोन्नत करवाना, मालपुरा मे कृषि विश्व विद्यालय एवं परिवहन विभाग कार्यालय खुलवाने का पूरा प्रयास किया जायेगा। इतना ही नही मंत्री ने औजस्वी उदबोधन मे कहा कि केकडी, अंराई,दूदू सहित आस पास के क्षैत्र की ग्राम पंचायतो को मालपुरा मे शामिल होने के लिये सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो एवं आमजन से चर्चा कर मालपुरा को जिला बनाने का उनका प्रयास लगातार जारी है। मालपुरा जो कि जिला बनने के सभी मापदण्डो पर तो खरा उतर रहा है मालपुरा मे जिला मुख्यालय स्तर तक के सरकारी कार्यालयो के लिये भवन व भूमि भी पर्याप्त है।

मंत्री कन्हैयलाल चौधरी ने मालपुरा में भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन को सम्बोधित किया।

बैसाखी मेले का आयोजन 13 से

अलवर। अतुल्य श्री पंजाबी समाज अलवर, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर, समस्त पंजाबी समाज अलवर द्वारा आपसी भाईचारे का प्रतीक बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मनोरंजन एवं रोमांच से भरपूर भव्य बैसाखी मेले का आयोजन 13 अप्रैल रविवार को होटल स्वरूप विलास पैलेस में शाम 5:00 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार बैरी अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं श्री अनुराग सरीन ज्वॉइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी जयपुर होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ मुकेश अरोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल श्री पंजाबी समाज करेंगे।

दौसा जिला स्थापना दिवस समारोह आज

दौसा। दौसा जिला स्थापना दिवस समारोह 10 अप्रेल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान सुबह फुटबॉल मैच और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होंगे। कवि सम्मेलन में देश-प्रदेश के कई प्रतिष्ठित कवि शिरकत करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर रामस्वरूप शाम को बजरंग मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सायं 6 बजे से होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा, केंद्रीय विद्यालय हरिपुरा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा खुर्द, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खेड़ला, विवेकानंद सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल दौसा, कलाकार राम अवतार शर्मा प्रधानाचार्य, कलाकार रामू मास्टर द्वारा बेहतरीन प्रस्तुती दी जाएगी।

यूडीएच मंत्री ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी

श्रीमाधोपुर। विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में राज्य के स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने अपने दो दिवसीय दौरे के तहत बुधवार को श्रीमाधोपुर में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये बताई गई है। साथ ही राजकीय संस्कृत महाविद्यालय श्रीमाधोपुर के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया, जो ढाई करोड़ की लागत से निर्मित होगा। मंत्री ने कहा कि यह भवन केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि यह हमारी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में श्रीमाधोपुर नगरपालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत, उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, भाजपा नेता बनवारी लाल यादव, नगर पालिका श्रीमाधोपुर के अधिशासी अधिकारी डॉ अशोक कुमार, महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य हंसराज चौहान मंचासीन थे। इस मौके पर पार्षद श्रवण आचार्य, विष्णु मिश्रा ,भरत पेंटर, सुरेश मंतग, जगदीश रायपुरिया , जुगल चौधरी ,ओम भाई, गोविंद बिजारनिंया, एमजी कॉलेज के डायरेक्टर मोहर सिंह खर्रा, अशोक पारीक, रामजीलाल बाबू, बाबूलाल कुड़ी, कृष्ण कुमार, बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र बुनकर, डॉ पूजा वर्मा, डा.सुवालाल ,मुकेश, सुधीर सैनी, प्रेमचंद वर्मा, श्रवण कुमार जाट सीडीसी ,ताराचंद सैनी एएओ, सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन मौजूद रहे। प्राचार्य व स्टाफ ने मंत्री का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया।

नगरीय विकास मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया।

कालाडेरा रीको एरिया में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग

- कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, आग बुझाने में जुटी तीन दमकल

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के कालाडेरा थाना क्षेत्र के रीको इलाके में बुधवार दोपहर एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर कालाडेरा और चौमू से पहुंची चार दमकलों ने 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का तैयार व कच्चा माल जलकर स्वाहा हो गया।

पुलिस के अनुसार रीको एरिए में स्थित उमंग बोर्ड प्लाईवुड फैक्ट्री में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही कालाडेरा और चौमूं से 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी ने 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग से मशीनरी , कच्चा माल और तैयार माल जल गया। आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चौमूं अग्निशमन अधिकारी जयकुमार जांगिड़ के अनुसार चौमूं से दो दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

पेंशनर्स ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक का किया विरोध

पावटा। जहाँ केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशनर्स को आठवे वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बाटने का काम किया है, साथ ही डीएस नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है के विरोध में राजस्थान पेंशनर्स समाज शाखा पावटा अध्यक्ष सुरेश चंद शास्त्री के नेतृत्व में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को कोई लाभ नहीं देने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए उपखंड अधिकारी पावटा को प्रधानमंत्री के नाम सामुहिक ज्ञापन सौंपा गया। पावटा अध्यक्ष सुरेश चंद शास्त्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए सीसीए (पेंशन) नियम संशोधन विधेयक को लेकर पेंशनर्स में नाराजगी है। राजस्थान पेंशनर समाज ने इसे पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात बताया है। समाज का कहना है कि इस विधेयक से 31 दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए और 1 जनवरी 2026 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। इससे भेदभाव की स्थिति बनी है।यह संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 17 दिसंबर 1982 को दिए गए डीएस नकारा केस के ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ है। इसके बाद आंदोलन का निर्णय लिया गया।

शिक्षक की आवश्यकता है:
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा की केंद्रीय योजना के अन्तर्गत विद्यालय में संस्कृत (साहित्य, व्याकरण) कोई एक विषय शिक्षक की आवश्यकता है। पद-01, मानदेय-20000/- प्रतिमाह, योग्यता-राज्य सरकार/यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परंपरागत उपाधिधारक एवं प्रशिक्षित को वरियता, अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र मय सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ दिनाँक 21.04.2025 तक विद्यालय समय में 5.00 बजे तक व्यक्तिगत/ डाक द्वारा प्रस्तुत/ प्रेषित कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थी को पृथक से दी जायेगी।
सचिव,
मानव भारती प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय सी.टी.एस.बस स्टैंड के पास सांगानेर, जयपुर राजस्थान- 302029

अवैध रूप से संचालित होटल व कैफे पर नगर परिषद की बड़ी कार्यवाही

- बैंक वाली गली व गोभी के खेत स्थित करीब 10 प्रतिष्ठानों को किया सीज, नोटिस चस्पा

कोटपूतली। कस्बे के बैंक वाली गली व गोभी वाले खेत स्थित करीब 10 होटल, कैफे व रेस्टोरेंट्स एवं गेस्ट हाऊस आदि पर बुधवार को कोटपूतली नगर परिषद की विशेष टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुये उन्हें सीज कर दिया। जैसे ही नगर परिषद की टीम एक्सईएन दीपक मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही के लिये पहुँची।

वैसे ही उनके संचालकों में हडकम्प मच गया एवं वे मौके से फरार हो गये। बताया जा रहा है कि कस्बे में विगत काफी समय से इनका अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। जाँच में उक्त होटल, कैफे, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाऊस आदि के पास कोई वैद्य कागजात एवं लाईसेंस नहीं पाये गये। इनका संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था। कुछ कैफे में तो संदिग्ध व अवैध गतिविधि भी संचालित हो रही थी। जाँच के दौरान एक-दो होटलों को छोडकर किसी के पास दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही फूड सेफ्टी समेत अन्य लाईसेंस भी नहीं पाये गये। एक्सईएन दीपक मीणा ने जानकारी देते हुये बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जो भी होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफे व गेस्ट रूम आदि चला रहे है, उन्हें लाईसेंस लेना होता है। ऐसे करीब 10-11 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उन्हें सीज किया गया है। अगर कोई सीज का ताला तोड़ता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि इस सम्बंध में नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ अवैध निर्माण व बिना अनुमति के संचालित व्यवसायों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

होटल, कैफे व रेस्टोरेंट्स एवं गेस्ट हाऊस आदि पर कोटपूतली नगर परिषद की टीम कार्यवाही करते हुये उन्हें सीज किया।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय-5 में किराए के पुनरीक्षण एवं बेदखली बाबत प्रार्थना-पत्र

न्यायालयः किराया जयपुर महानगर द्वितीय (राज.) ...ठाकुर जी सीताराम जी. विरुद्ध एकरलाल मीणा व अन्य 360/2015 अर्जी संख्या श्रीमाती अंकना मीणा w/o स्व.एकन मीणा

नाम वर्तीक मीणा पुत्र स्व. एकन मीणा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती अंकना मीणा पत्नी दुखन दक्षिणमुखी एन.आर. मोटरसाईकिल स्कूटर रिपेयरिंग सेन्टर, शिव पान भण्डार व पहले पेट्रोल पम्प के पास, मन्दिर ठाकुरजी सीताराम जी, कच्चा बंधा, आमेर रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी ने आपके विरुद्ध किराये के पुनरीक्षण/बेदखली के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत एक अर्जी प्रस्तुत की है जो पंजीयन कर ली गई है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21/04/25 माह सन्... को 7:30 ए.एम. बजे उक्त अर्जी का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए चेतावनी दी जाती है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसको सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस अर्जी से सम्बन्धित सभी सारवान् प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त दिन या इससे पूर्व 30/45 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य नोटिस की तामील होने की तारीख से दाखिल करें और उक्त तारीख पर या तामील होने के 30/45 दिन के भीतर ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई की दावा का प्रतिदावा आधारित हो। साथ ही यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में न हो, अपनी प्रतिरक्षा, मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हों, आप ऐसे दस्तावेज उल्लिखित समय के मय उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने प्रतिरक्षा के और जवाब के साथ उन सभी साक्षीगण के एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करें जो अपकी प्रतिरक्षा का समर्थन करते हैं तथा उन दस्तावेजों का और उस साक्ष्य का ब्यौरवा वर्णन शपथ पत्र में किया जावे। साथ ही जिन दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराना हो उन पर लाल स्याही से प्रदर्श डालकर प्रस्तुत करें और शपथ पत्र पर ए.से.बी, सी.से.डी हस्ताक्षर इत्यादि या लिखावट आदि जिसको भी प्रमाणित कराना है, का उल्लेख भी किया जावें।

आपको पुनः आगाह किया जाता है कि उक्त नोटिस की तामील होने के 30/45 दिन के भीतर आप अपना प्रतिरक्षा उपरोक्त प्रवास में न्यायालय में अंकित करें या उक्त तारीख पेशी पर प्रस्तुत कर दें। अन्यथा आपकी प्रतिरक्षा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत समाप्त हो जायेगी।

आपको यह भी आगाह किया जाता है कि तारीख पेशी से पूर्व यदि आप द्वारा प्रतिरक्षा हेतु जवाब अर्जी शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी के अधिवक्ता श्री.... को उक्त प्रतिरक्षा की और जवाब दावा शपथ पत्रों की, दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध करा दें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो बाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

नोटिस आज दिनांक 8/04/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

आज्ञा से-रीडर
मोहर किराया अधिनियम, जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना

यह कि मेरे अभिभाष्य सुवालाल पुत्र गोपीराम मीणा ग्राम जाटावाला सांगानेर की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मंदाउ तहसील सांगानेर जिला जयपुर में दो भूखण्डो आबादी भूमि क्षेत्रफल 400 व 433.33 वर्गगज को ग्राम पंचायत मंदाउ द्वारा आवंटित किये जाने पर पप्पूलाल वलाई के मार्फत लाडा देवी व शांति देवी से सद्भावी रूप से उचित प्रतिफल राशि से मेरे अभिभाष्य ने खरीद किये है उक्त दोनो भूखण्डो के पट्टा विलेख उपपंजीयक सांगानेर प्रथम से पंजीबद्ध भी है। उक्त दोनो भूखण्डों के भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार के सिविल / फौजदारी वाद विवाद की समस्त जिम्मेदारी इन सभी लोगो की है इन लोगो के द्वारा उक्त भूखण्डों के संबंध में कोई फर्जवारी कार्यवाही की गई हो या की जाती है या इन्हे पुनः बेचान किया जाता है और मेरे अभिभाष्य के हक में रजिस्ट्री नही करवाई जाती है तो मेरे अभिभाष्य को आगे कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा इसमें मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी अतः सूचित रहे।

भवदीय
दिनांक-10.04.2025 रोहित कमावत एडवोकेट मो0-7014995861

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे, बडी चौपड़ जयपुर)
(लैण्ड प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ-6(1)उपा.लैण्ड (सा.प्र.)/ननिज./2025/35
सार्वजनिक सूचना दिनांक-08/04/025

मूल भूखण्ड संख्या 45 पावर हाउस के पास चौकड़ी सरद जयपुर जिसका कुल श्रेत्रफल 83.33 वर्गगज नगर निगम जयपुर हैरिटेज के द्वारा अशोक कुमार नाम के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने बावत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को किसी प्रकार कि कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड) में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने कि कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

हंसा मीणा) उपायुक्त (लैण्ड)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लैट / यूनिट नम्बर 301 (पश्चिमी हिस्सा), सैकिण्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर-563, योजना निर्माण नगर-प्रथी, अजमेर रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1300 वर्ग फीट को श्री अनिरुद्ध सिंह राठौड़ ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2019 रजिस्टर्ड नम्बर-201903019105673 के द्वारा श्री मोखम सिंह से क्रय किया था। उक्त विक्रय पत्र के साथ संलग्न मूल साइट प्लान कही गुम हो गया है, जिस किसी को मिले सूचित करे। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज हो या किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकार, विक्रय, रहन, लीज, लियन, लाईसेन्स, दान या वक्फ के जरिये या अन्य किसी प्रकार से कोई अधिकार या हक उक्त फ्लैट के सम्बन्ध मे हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के सात दिवस मे अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा, बाद गुजरने मियाद एवं उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार व आपत्ति मान्य नही होगी, और ना ही ठेता पर बाध्यकारी होगी।
(Bhim Singh) Advocate, Mob.No.8107351741

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रमेश कुमार सर्वा पुत्र श्री जय प्रकाश सर्वा के द्वारा होटल कैलाश गीत-03, हाथी बाबू का बाग, कांती नगर, जयपुर के बावत् दीवानी वाद भागीदारी व हिसाब फेहमी का विभिन्न न्यायालयो में सतपाल सिंह, स्व. धीर सिंह व उनके वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखे है जिसमें दिनांक 21.11.2012 के आदेश से यथास्थिति के आदेश से पाबंद कर रखा है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति ने उक्त सम्पत्ति खरीद बेचान या अन्य कोई विलेख किया तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होगा और उसके लिए वह स्वयं की जिम्मेदारी होगा।

जयपुर (शशि शेखर गौंड) (एडवोकेट)
दिनांक : 9/4/2025 मो.न 9414071048

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी स्व. श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी-प्लॉट नम्बर 15, गणेशपुरी, आगरा रोड, जयपुर का छोटा पुत्र योगेन्द्र शर्मा व उसकी पत्नी श्रीमती निधि शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं हैं और निधि शर्मा मुझे व मेरे बडे पुत्र वेदप्रकाश शर्मा को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती है। इसलिये मेरी अभिभाष्या ने उपरोक्त दोनों को अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा मेरी अभिभाष्या का उक्त दोनों व उनकी संतानों से अब कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।

भवदीय
जयपुर बृजेश चन्द शर्मा (एडवोकेट)
दिनांक 9.4.2025 मो. 9414262543

आम सूचना मेरी अभिभाष्या समिति मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समिति की योजना शिव विहार बैनाड रोड, जयपुर मे प्लाट संख्या 38 क्षेत्रफल 287.77 वर्ग गज स्थित है। उक्त प्लाट का हस्तांतरण श्री अंकित दूबे पुत्र श्री अर्जुन लाल द्वारा दिनांक 1, मार्च 2013 को समिति से करवाया था। उक्त हस्तांतरण हेतु श्री अकित दूबे द्वारा श्री नवीन कुमावत के हक मे दिनांक 15.2.1997 को जारी तथाकथित आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान समिति मे प्रस्तत किये थे। कालान्तर मे समिति की पूर्व मंत्री से रिकोर्ड प्राप्त होने पर समिति की जानकारी मे आया कि श्री नवीन कुमावत पुत्र श्री सायरमल कुमावत के नाम से जारी आवंटन पत्र दिनाकित 15.2.1997 फर्जी एवं कूटरचित था। इसलिए समिति ने तुरन्त ही श्री अंकित दूबे को सूचित कर हस्तांतरण निरस्त कर दिया था। एवं श्री अंकित दूबे को निरस्त हो चुके हस्तांतरति आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान को समिति कार्यालय मे जमा नही करवाया हैं। जिसके लिए श्री अंकित दूबे व श्री नवीन कुमावत के खिलाफ समिति द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही हैं। समिति की जानकारी मे आया है कि श्री अंकित दूबे उक्त प्लाट को निरस्त हो चुके दस्तावेजो के आध तार पर दीगर व्यक्तियो को विक्रय करना चाहता हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति उक्त प्लाट संख्या 38 शिव विहार बैनाड रोड, जयपुर के संबध मे किसी भी प्रकार का संव्यवहार व खरीद बेचान श्री अंकित दूबे के साथ नही करे, अन्यथा होने वाले नुकसान के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होगा। अतः क्रेता सावधान रहे। सूचित करे।
(गौरव जैन) एडवोकेट, मो.नं.-9783694277

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम पिंकी देवी से बदलकर पिंकी चौधरी पत्नी श्री मनीष कुमार कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पताः ग्राम भोजराजका, पोस्ट कलगॉव, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर

मैं यशोदा देवानी पत्नी श्री संजय देवानी निवासी- प्लॉट नं- 177ए, शंकर नगर, आमेर रोड़ ने भविष्य के लिए अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम यशोदा रमानी से बदलकर यशोदा देवानी कर लिया है।

मैं रविन्द्र बिस्वास पुत्र श्री नारायण बिस्वास निवासी- प्लॉट नं- 30, शंकर नगर, गली नं- 09, आमेर रोड़, ब्रह्मपुरी बयान करता हूँ कि रविन्द्र बिस्वास व रबिन्द्रनाथ बिस्वास स्वयं मेरे नाम है।

I Have Changed My Name From Harsha Ahuja To Khushi Belwani W/o Prakash Kumar Belwani For All Purpose. Plot No. 96, Sindhu Nagar, Nahari Ka Naka, Shastri Nagar, Jaipur (Raj.)

**क